

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-09092026-276075
SG-DL-E-09092026-276075असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254]	दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2026/भाद्र 10, 1948	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 192
No. 254]	DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2026/BHADRA 10, 1948	[N. C. T. D. No. 192

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 सितम्बर, 2026

फा. सं. 14 (112)/LA-2026/ala 1/89-100.— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 31st August, 2026 को प्राप्त कर ली है और इसे जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है -

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2026

(2026 का दिल्ली अधिनियम 11)

(11th August, 2026 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)01st September, 2026

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 में संशोधन करने हेतु एक अधिनियम।

इसे भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाता है:-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ—

- (1) इस अधिनियम को दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जाएगा।
- (2) यह उस तिथि से लागू होगा जिसे सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. धारा 2 में संशोधन—

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 की धारा 2 में, खंड (छ) के उपखंड (iii) में, "दिनांक 1 जनवरी, 2006 को इसमें कम से कम पचास परिवार निवास कर रहे हैं।" शब्दों और अंकों के स्थान पर "दिनांक 1 जनवरी, 2025 को इसमें कम से कम पचास परिवार निवास कर रहे हैं" शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

रीतेश सिंह, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, 1st September, 2026

F.14 (112)/LA-2026/ala1/89-100.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 31st August, 2026 and is hereby published for general information.

THE DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD (AMENDMENT) ACT, 2026

(DELHI ACT No. 11 OF 2026)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 11th August, 2026).

[01st September, 2026]

An Act to to amend the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:

1. Short title and commencement

- (1) This Act may be called the Delhi Urban Shelter Improvement Board (Amendment) Act, 2026.
- (2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification published in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 2.

In section 2 of the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010, in clause (g), in sub-clause (iii), for the words and figures—

"It is inhabited at least by fifty households as existing on 1st January, 2006",

the words and figures—

"It is inhabited at least by fifty households as existing on 1st January, 2025",

shall be substituted.

REETESH SINGH, Principal Secy.